भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2624
जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना

2624. श्रीमती मीनाक्षी लेखी :

श्री अरविंद धर्मापुरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अप्रचलित विधानों की पहचान करने और निरस्त करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में अप्रचलित विधानों को निरस्त करने का क्या महत्व है ; और

(घ) वर्ष 2014 से आज तक निरस्त किए गए कानूनों की कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : जी, हां । वर्तमान सरकार ने वर्ष 2014 में निरसन के लिए अप्रचलित और अनावश्यक विधियों की पहंचान करने के लिए एक दो सदस्य वाली समिति गठित की थी । उक्त समिति ने निरसन के लिए 1824 अप्रचलित अधिनियमों (229 राज्य अधिनियमों सहित) की परीक्षा और पहंचान की थी तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उक्त 229 राज्य अधिनियम निरसन के लिए सबंधित राज्य सरकारों को अग्रेसित किए गए है । इसके पश्चात, विधायी विभाग ने सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ, उनके द्वारा प्रशासित किए जाने वाले अधिनियमों की परीक्षा और पुर्नविलोकन करने के लिए, मामलों को उठाया ।

अप्रचलित विधानों का निरसन, "न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन" के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। इसने भारत में कारबार की सुगमता के परिवेश में सुधार किया है और कारबार के साथ-साथ सामान्य

जनता के लिए अनुपालन के भार को कम किया है । इसने विधिक प्रावधानों के बारे में अधिक स्पष्टता लाकर मुकदमेबाजी को कम करने में भी मदद की है । वर्ष 2014 से अब तक भारत सरकार द्वारा 1486 अप्रचलित और अनावश्यक विधियों का निरसन किया गया है ।

****